

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस.



अपील संख्या : 05/2021 राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975
जीसीएमएस नं. : 2021/82

अनवानी :- शाहबाज उर्फ शेरु पुत्र तौफिक जाति मुसलमान निवासी मकान
नंबर 1/128 हाउसिंग बोर्ड करणी मार्ग रोड़, सुरेन्द्र डेन्टल कालेज
के सामने पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।

— अपीलांट

— बनाम —

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजकीय अभिभाषक।

— रैस्पॉडेन्ट

उपस्थित :- श्री सुरेश मोहता अभिभाषक अपीलान्ट
श्री गजेन्द्रसिंह राठौड़ लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक 19.03.2024

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 16.11.2021, जिसके द्वारा अपीलान्ट को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 45 दिन की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये गये, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से दिनांक 23.10.2020 को जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी शाहबाज उर्फ शेरु पुत्र तौफिक के विरुद्ध इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांट के विरुद्ध कुल 24 प्रकरण दर्ज हुए हैं, उक्त सभी प्रकरण आरपीजीओ के तहत दर्ज हैं। अपीलांट को उक्त 24 में से 23 प्रकरणों में सक्षम न्यायालय से सजायाब फरमाया जा चुका है। अपीलांट सट्टा करने का आदी है, जिसकी समाज में आम शोहरत खराब है। अपीलांट की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है। अपीलांट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है, अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर



3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलांट को जरिये नोटिस दिनांक 18.11.2020 को तलब किया गया, जिसमें अनुपस्थित रहने के कारण अपीलांट को जरिये जमानती वारण्ट तलब किया। दिनांक 04.01.2021 अपीलांट उपस्थित हुआ। तत्पश्चात न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 16.11.2021 को अपीलान्ट के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क) (ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिद्ध मानते हुए अपीलांट को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 45 दिन की अवधि के लिए जिले से निष्कासित किये जाने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2021 के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6 के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय क सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र इस्तगासा के ही आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। पुलिस थाना जवाहरनगर द्वारा अपीलांट के विरुद्ध जिन मुकदमों का अंकन किया है, वे तमाम मुकदमे झूठे व बेबुनियाद है। अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 107, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, ना ही कभी प्रार्थी द्वारा कोई शांति भंग की गई है और ना ही इस प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज है। उक्त सभी मुकदमें पुलिस ने अपने टारगेट पूरे करने के लिये ही बनाये है। अपीलांट एक अच्छे चालचलन तथा अच्छी शोहरत वाला व्यक्ति है। अपीलांट अधिनियम में वर्णित धारा 3 क, ख व ग की परिधि में नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालय को वर्तमान प्रकरण सुनने व तय करने की क्षेत्राधिकारिता व श्रवणाधिकारिता ही नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2021 निरस्त फरमाया जावे।
5. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुद्ध इस्तगासा में वर्णितानुसार 24 मामले राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस के अंतर्गत दर्ज हुए। उक्त 24 में से 23 प्रकरणों में अपीलांट को सक्षम न्यायालय द्वारा सजायाब फरमाया जा चुका है। प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा 'क' 'ख' 'ग' में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा तथा अभियोजन पक्ष के गवाह के अनुसार अपीलांट जुआ सट्टे का आदि है। इसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है, मोहल्ले के आम जन तथा लोग इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं। अपीलांट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) के अंतर्गत वर्णित व्यक्तियों

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथोचित है।
अतः अपील अपीलान्त निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलांत को 45 दिन की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित किये जाने के आदेश पारित किये तथा उक्त निष्कासित अवधि में अपीलांत जिला क्षेत्र हनुमानगढ़ में रहेगा। अपीलान्त गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड 'क' 'ख' 'ग' में विनिर्दिष्ट तीनों शर्तें पूरी करता है। अपीलांत को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत "गुण्डा" घोषित किया जाता है। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2021 न्यायोचित है, इसलिए यह न्यायालय उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2021 यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्त इसी स्तर पर खारिज की जाती है।
7. तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



AM
(वन्दना सिधवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर